कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र)

पृष्ठांकन कमांक.4088/ 2024 भोपाल, दिनांक 07/06/2024

मानननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का आदेश कमांक–ए/4017–ए, जबलपुर, दिनांक–27.05.2024 की पृष्ठांकित प्रति कमांक–ए/4018–बी, जबलपुर, दिनांक–27.05.2024 (न्यायिक अधिकारीगण को समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता प्रदान किये जाने के संबंध में)

प्रतिलिपि–

01. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण भोपाल/बैरसिया को ई–मेल किये जाने एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

02. समस्त उप प्रशासनिक अधिकारीगण, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

03. समस्त सहायक लेखापालगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल(म0प्र0)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
//आदेश//

क्रमांक A/4017-A जबलपुर, दिनांक 27/मई/2024

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4602 जबलपुर दिनांक 31/10/2019 के अधिक्रमण में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 20/05/2024 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना फा. क्रमांक 1127/21–ब(1)/2024 दिनांक 15/03/2024 के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता के संबंध में निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती है :–

(1) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को दिनांक 01/01/2020 से समाचार पत्र और पत्रिका भत्ता निम्नांकित सीमा तक देय होगा :–

(क) जिला न्यायाधीश को समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं (2 समाचार पत्र और 2 पत्रिकाओं) के लिए रूपये 1 हजार तक तथा व्यवहार न्यायाधीश को (2 समाचार पत्र और 1 पत्रिका) रूपये 700 प्रतिमाह की दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ख) न्यायिक अधिकारी को उक्त भत्ते की प्रतिपूर्ति स्वयं द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर छःमाही आधार पर जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर तक के लिए की जायेगी।

(2) न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनांक 01/01/2020 के पश्चात एवं इस आदेश के प्रभावी होने के पूर्व यदि उक्त भत्ता प्राप्त किया गया है, तो उसे समायोजित कर अंतर राशि का भुगतान एरियर के रूप में किया जायेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल (म.प्र.)

442

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

05.06.2024

पृष्ठांकन क्रमांक A/4018-B जबलपुर, दिनांक 27/मई/2024

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर।
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, BHOPAL (समस्त)।

क्रमशः 2

4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय .... (समस्त) जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
5. ओ.एस.डी.–कम पी.पी.एस., मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
6. रजिस्ट्रार (न्यायिक–1) / (न्यायिक–2) / (जिला स्थापना) / (प्रशासन) / (सतर्कता) / (निरीक्षण एवं सतर्कता) / (कार्य एवं अधोसंरचना) / (सूचना प्रौद्योगिकी–सी.एस.ए.) / (सूचना प्रौद्योगिकी–एस.ए.) / (सूचना प्रौद्योगिकी–एन.सी.टी.) / (परीक्षा) / (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय।
7. मेम्बर सेक्रेटरी स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
8. रजिस्ट्रार (सूचना प्रौद्योगिकी – सी.एस.ए.), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को आदेश की प्रति कार्यालय की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर।
10. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर।
11. सेक्रेटरी टू द जजेस, रजिस्ट्रार जनरल / प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. एवं परीक्षा) / (सतर्कता) / (न्यायिक), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय।
12. ओ.एस.डी. (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
13. उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
14. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
15. लाइब्रेरियन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर / खण्डपीठ, इन्दौर / खण्डपीठ, ग्वालियर।
16. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) / प्रभारी, लेखा / पेंशन / बजट, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर. के. शर्मा)
रजिस्ट्रार (एम)